कुलानुशासक कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय

दिनांकः—10.07.2010

प्रेस–विज्ञप्ति

विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 2094 / सत्तर–1–2009 को दृष्टिगत रखते हुए जो प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोंकथाम हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2009 को पारित आदेशों के अनुपालन में समस्त छात्र–छात्राओं को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे विश्वविद्यालय छात्रत्व के दौरान रैगिंग जैसी कुत्सित घटनाओं में सम्मिलित न हों अन्यथा दोषी पाये जाने वाले विरूद्व निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी ।

(अ) उपयुक्त साक्ष्यों सहित प्रथम दृष्ट्या आरोपी पाये जाने वाले के विरुद्व प्रथम सूचना सम्बन्धित थाने में दर्ज करवायी जायेगी ।

(ब) आरोपित को विश्वविद्यालय के छात्रत्व से निलम्बित कर परिसर तथा कक्षाओं में प्रवेश से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा ।

(स)यदि छात्रवृत्ति धारक हैं तो यह सुविधा तत्काल प्रभाव से बन्द कर दी जायेगी ।

(द) परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(य) किसी भी प्रदेशीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार अथवा अन्य कार्यकमों में सम्मिलित होने से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा ।

(र) परीक्षा परिणाम रोंक दिया जायेगा ।

(ल) छात्रावास / विश्वविद्यालय के छात्रत्व से निष्कासन कर दिया जायेगा ।

(व) विश्वविद्यालय / अन्य महाविद्यालयों अथवा अन्य किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा ।

(स) आवश्यकतानुसार ऐसे आरोपी छात्र के विरूद्व सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना दर्ज करवायी जा सकती है । छात्र–छात्रायें रैगिंग जैसी कुत्सित, वीभत्स एवं घृणित घटनाओं की सूचना निम्नलिखित दूरभाष एवं ई0 मेल के माध्यम से उपयुक्त साक्ष्यों सहित निम्न स्थलों पर दे सकते हैं :–

(क) टाल फ्री रैगिंग विरोधी हेल्प लाइननम्बर 1800–180–5522

(ख) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण मो0 नं0 9839226303

कुलानुशासक मो0 नं0 9415792521

डा0एस0 पी0 त्रिवेदी,अपर कुलानुशासक, मो0 नं0 9415063431

डा0(श्रीमती) शीला मिश्रा, अपर कुलानुशासक, मो0 नं0 9415088652

डा0 पवन अग्रवाल,अपर कुलानुशासक, मो0 नं0 9450511639

डा0 ओ0 पी0 शुक्ल, सहायक कुलानुशासक, मो0 नं0 9450645858

डा0 शशी कनौजिया,सहायक कुलानुशासक,मो0 नं0 9450351855

उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से समस्त छात्र–छात्राओं को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ परिचय–पत्र अथवा प्रथम प्रवेश शुल्क की रसीद रक्खें तथा जाँच के दौरान उसे जाँचकर्ता को दिखायें । परिसर स्थित निर्धारित वाहन स्टैण्डों पर अपना वाहन खड़ा करने के उपरान्त शैक्षणिक परिसर में प्रवेश करें , तथा ऐसे किसी कृत्य में न सम्मिलित हों जो रैगिंग की परिधि में आता हो । अपने शिक्षकों एवं सहपाठियों के साथ सौहार्द एवं छात्रौचित मर्यादा बनाये रक्खें । किसी प्रकार के दुष्प्रेरण या भवावेश में कोई ऐसा आचरण न प्रलक्षित करें , जिससे छात्र मर्यादा का उल्लंघन हो ।

आशा ही नहीं विश्वास है कि विश्वविद्यालय के समस्त छात्र–छात्रायें उपरोक्त बिन्दुओं को आत्मसात् कर अपने भविष्य पर ध्यान देंगे तथा हम लोगों एवं अपने अभिभावकों के उद्देश्यों को साकार बनायेंगे ।

सधन्यवाद ।

(प्रो0 यू0 डी0 मिश्र)

कृ0प0 प0

कुलानुशासक कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय

दिनांकः– 15.07.2010

प्रेस–विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय परिसर तथा छात्रावासों में रैगिंग पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की दृष्टि से कार्यालय द्वारा जारी प्रेस–विज्ञप्ति संख्या 2100–2175 दिनांक 16.06.2010 के अनुक्रम में पुनः समस्त छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि इस पर प्रभावी कार्यवाही हेतु कुलानुशासक कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जहाँ संयोजित दूरभाष संख्या 0522–2740401 पर रात–दिन किसी भी समय रैंगिंग जैसे दुष्कृत्य की सूचना दी जा सकती है । यहाँ सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही की जायेगी ।

(प्रो0 यू0डी0 मिश्र)